11

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /2010 विविध/पुनरीक्षण

विविध- 1034-II/10

एस. के. बाजपेयी - एडवोकेट 24-7-10

1- बालमुकुन्द चौदहा जी निवासी 4158/1 डा0 राम मनोहर लोहिया वार्ड क्रमांक 14 जालपा देवी रोड कटनी (म0प्र0)

2- श्रीचन्द सिंधानी निवासी आचार्य कृपलानी वार्ड-42 माधव नगर कटनी

3- रामचन्द्र आसरानी निवासी टी-12 कैरिन लाइन वार्ड क्रमांक 42 माधव नगर कटनी (म0प्र0)

4- रमेश टहलानी निवासी रमेश कुमार देवनदास कैरन लाइन वार्ड नं0 40 माधव नगर कटनी (म0प्र0)

5- हीराचन्द मदनानी प्रीतमदास मदनानी निवासी ए.डी.एम. वार्ड नं0 41 माधव नगर कटनी (म0प्र0) --- आवेदकगण

विरूद्ध

1- श्री गौशाला, कटनी, (सार्वजनिक न्यास) समिति पंजीयन क्रमांक 25/1938-39 रघुनाथगंज, कटनी

2- सूर्यभानसिंह यादव आत्मज देवी प्रसाद यादव निवासी सुभाष वार्ड, कटनी

3- गोपालचारी गुप्ता आत्मज मोतीलाल गुप्ता निवासी रघुनाथगंज वार्ड, घंटाघर के पास कटनी

4- मेसर्स समदड़िया बिल्डर्स द्वारा प्रोप्रायटर श्री किशोर समदड़िया द्वारा अटार्नी ---

28-6-2010

अजीत समदडिया आत्मज केशरीचन्द समदडिया
निवासी 16, सराफा बाजार, जबलपुर
------ अनावेदकगण

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा-8एवं 50 व्दारा प्रदत्त अधीक्षण एवं पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर श्रीगौशाला, कटनी की भूमि का अवैध रूप से किये गये नोइयत परिवर्तन एवं विक्रय को निरस्त किये जाने हेतु आवेदन.

महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :-

1- संस्था श्रीगौशाला कटनी (म0प्र0) का गठन लगभग 92 वर्ष पूर्व गौवंश की रक्षा, उन्नति तथा वृद्धी के लिये कटनीवासियों ने किया था । श्रीगौशाला के संचालन हेतु कटनी के स्थानीय नागरिकों की एक कमेटी गठित हुयी थी जिसका पंजीयन असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार जोइंट स्टाक कम्पनी सी.पी. बरार व्दारा दिनांक 26-9-1938 को किया गया था । बाद में संस्था को एक न्यास के रूप में पंजीयत किया गया ।

2- संस्था श्री गौशाला, कटनी ने दान आदि व्दारा अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु भूमि अधिगृहीत की जिसका चौत्रफल लगभग 3-4 सौ एकड है । श्री गौशाला, कटनी समस्त भूमि की अभिलिखित भूमिस्वामी है ।

3- संस्था श्रीगौशाला, कटनी की कमेटी के पदाधिकारी समयानुसार परिवर्तित होते रहे । वर्तमान में सूर्यभानसिंह यादव तथा गोपालचारी गुप्ता स्वयं को क्रमश: अध्यक्ष एवं सचिव के रूप में निर्मित कर श्री गौशाला की सम्पत्ति का दुरूपयोग कर रहे हैं ।

4- तथाकथित अध्यक्ष एवं सचिव ने गौशाला जैसे पवित्र उद्देश्य के लिये धारित भूमि में से ग्राम टिकरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 30 एवं 32 में से कुल चौत्रफल 12.190 हेक्टेयर भूमि का विक्रय अनावेदक-4 को कर दिया है जब कि गौशाला की भूमि विक्रय करने की गौशाला को कोई आवश्यकता नहीं थी । उक्त विक्रय-पत्र दिनांक 4-6-2005 की प्रति संलग्न है ।

--- 3

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1034—दो/10 जिला —कटनी

कार्यवाही तथा आदेश

5.9.16

यह विविध आवेदन म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2— विविध आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदकगण के अधिवक्ता को सुना गया । उन्होंने बताया कि शासन की ओर से गौशाला हेतु मौजा पड़रवारा राजस्व निरीक्षक वृत्त पहाड़ी तहसील मुडवारा जिला कटनी में भूमि खसरा नंबर 30 रकबा 4.330 है0 खसरा नंबर 32 रकबा 9.460 है0 प्रदान की गई थी, किन्तु गौशाला के अध्यक्ष एवं मंत्री ने अधिकार न होते हुये भी पद का दुरूपयोग करते हुये उक्त भूमि में से 12.190 है0 भूमि का विकय मैसर्स समदड़िया विल्डर्स को विकय किया गया है इसलिये संहिता की धारा 8 के अंतर्गत पर्यवेक्षण शक्तियों के अधीन विकय पत्र के आधार पर किये गये नामांतरण को निरस्त किया जावे।

3— आवेदक के अधिवक्ता के तर्कानुकम में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद हे कि गौशाला के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा मौजा पड़रवारा तहसील

मुडवारा सिति भूमि खसरा नंबर 30 रकबा 4.330 है0 खसरा 32 रकबा 9.460 है0 में से 12.190 है0 भूमि का विकय मैसर्स समदड़िया विल्डर्स को विकय किया गया है एवं विकय पत्र के आधार पर नामांतरण पंजी पर केता का नामांतरण किया गया है किन्तु विकय पत्र को शून्य घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं हैं जहां तक नामांतरण पंजी पर केता का नामांतरण किये जाने का प्रश्न है? नामांतरण आदेश अपील योग्य आदेश हे और संहिता की धारा 8 के अंतर्गत पर्यवेक्षण शक्तियों का प्रयोग वहीं किया जाना उचित है जहां अपील/निगरानी का उपचार प्राप्त न हो तथा ऐसा अभिलेख से प्रमाणित हो जाय कि प्रावधानों में की गई व्यवसीा पक्षकार की मांग के अनुरूप नहीं है एवं पक्षकार को न्याय पाने में असुविधा है। विचारा धीन प्रकरण में आवेदकगण को नामांतरण आदेश के विरूद्ध अपील का उपचार प्राप्त है। अतएव इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित आवेदकगण सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेंगे।

4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर विविध आवेदन अप्रचलन योग्य पाये जाने से इसी स्तर पर अमान्य किया जाता है।

सदस्य